



परिग्रह पत्र

- (1)– योजना का नाम:– तेलीबाग (वृन्दावन) भूमि एवं गृह स्थान योजना संख्या-4, लखनऊ।
 (2)– ग्राम का नाम:– बरौली खलीलाबाद, परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-32 में निर्गत अधिसूचना सं०-3732(भू०अ०)-2-1105 (योजना) दिनांक 27.02.2004 उ०प्र० गजट प्रकाशन दिनांक 03.04.2004 के क्रम में शासन की विज्ञप्ति सं० 970/9-आ-2-2004-05एच०बी०/2002 लखनऊ दिनांक 21.07.2004 के अन्तर्गत धारा-17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि में से 30.605 हे० भूमि का कब्जा जिसका विवरण निम्न प्रकार है आज दिनांक 8.02.2007 उ०प्र० आवास विकास परिषद लखनऊ जरिये सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड-11 वृन्दावन योजना लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है।

ग्राम	खसरा सं०	क्षेत्रफल हे० में	अन्य विवरण
बरौली खलीलाबाद	1221	0.038	
	1222	0.341	
	1223	0.456	
	1224	0.223	
	1225	0.468	
	1226	0.190	
	1229	0.242	
	1230	0.130	
	1232	0.087	
	1233	0.101	
	1234	0.106	
	1235	15.180	
	1236	0.291	
	1237	0.291	
	1238	0.455	
	1239	0.379	
1240	0.253		
1243	0.152		
1245	0.304		
1246	0.050		

क्रमशः 2

ग्राम	खसरा सं०	क्षेत्रफल हे० में	अन्य विवरण
बरौली खलीलाबाद	1247	0.025	
	1248	0.101	
	1249	0.013	
	1250	0.152	
	1253	0.190	
	1254	0.240	
	1256	0.278	
	1257	0.240	
	1258	0.240	
	1259	0.051	
	1260	0.101	
	1261	0.051	
	1262	0.215	
	1263	0.063	
	1264	0.304	
	1265	0.139	
	1266	0.202	
	1267	0.253	
	1269	1.037	
खसरा संख्या	✓ 1272	0.341	
EWS (G+3), 480	✓ 1273	0.013	
मकानों के लिए	✓ 1274	0.621	
	✓ 1275	0.291	
	1276	0.013	
	1277	0.141	
	1278	0.884	
	1280	0.025	
	1289	0.063	
	1290	0.092	
	1291	0.086	
	1292	0.196	


ग्राम	खसरा सं०	क्षेत्रफल हे० में	अन्य विवरण
बरौली खलीलाबाद	1293	0.179	
	1294	0.152	
	1295	0.025	
	1296	0.038	
	1298	0.051	
	1301	0.051	
	1302	0.013	
	1303	0.051	
	1304	0.012	
	1305	0.367	
	1306	0.010	
	1307	0.367	
	1308	0.025	
	1309	0.038	
	1310	1.644	
	1311	0.051	
	1313	0.063	
	1314	0.051	
	1315	0.013	
	1316	0.012	
	1317	0.291	
	1318	0.025	
	1320	0.025	
	1323	0.273	
	1325	0.051	
	1329	0.051	
	1340	0.278	
	योग	30.605 हेक्टेयर	

[Handwritten signature]

नोट- उपरोक्त भूमि के कास्तकार को बाग बहार एवं फसल को पकने पर उठा लेने की अनुमति दी जाती है, अब कोई फसल बोने एवं मिट्टी बेचने का अधिकार न होगा।

[Handwritten signature]
MR


2. उपरोक्त खरारा नम्बर की खुली भूमि का कब्जा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (अर्जन निकाय) को आज दिनांक 8.02.07 को हस्तान्तरित किया गया, मौजूद परिसम्पत्तियों का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
3. नहर, सड़क, ग्राम समाज एवं निर्माण की भूमि का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
4. उपरोक्त खरारा नम्बरों में कब्रें, मन्दिर, मरिजद व अन्य किसी धार्मिक स्थल की भूमि को छोड़कर कब्जा माना जाये।
5. उक्त आराजी किसी न्यायालय अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अधिग्रहण से मुक्त किये जाने पर कब्जा हस्तान्तरण शून्य मानी जायेगी।


(कौशल किशोर श्रीवास्तव)

अमीन

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कलेक्ट्रेट लखनऊ


उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा परिसम्पत्तियों को छोड़कर खुली भूमि का आज दिनांक 8.02.07 को प्राप्त किया।


(आर०आर०तिवारी)

अवर अभियन्ता

निर्माण खण्ड-11

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वृन्दावन योजना लखनऊ



(मनोज पाण्डेय)

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड-11


उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वृन्दावन योजना लखनऊ

प्रतिहस्ताक्षरित


(अमिताभ प्रकाश)

अपर जिलाधिकारी (भू०आ०)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कलेक्ट्रेट लखनऊ


(रामायण शरण)

अधिसासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-11

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वृन्दावन योजना लखनऊ।